

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 19/2023  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2023/22

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड एवं कॉरपोरेट कार्यालय 6 <sup>th</sup> फ्लोर, प्लॉट नम्बर 15, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरुग्राम हरियाणा-122002 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका एक कार्यालय कैनरा बैंक के उपर, तृतीय तल, डाक बंगलों के पीछे, बस स्टैंड के पास, अजमेर रोड, मदनगंज, किशनगढ़ जिला अजमेर, राजस्थान- 305801 में स्थित व कार्यरत है। जिसके प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह।		1. सीमादेवी, पता-738, किसान चौराहा, तेजा चौक, थांवाला, तहसील रियांबड़ी, नागौर राजस्थान-305026 2. रामेश्वरलाल, पता-738, किसान चौराहा, तेजा चौक, थांवाला, तहसील रियांबड़ी, नागौर राजस्थान-305026

आदेश

दिनांक: 01-02-2023

प्रार्थी-की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 28.04.2016 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति - रामेश्वरलाल पुत्र मांगीलाल होदगास्या की एक आवासीय सम्पत्ति जिसका पट्टा संख्या 018, बुक संख्या-032, संकल्प संख्या-08/5/01/2013, मिसल संख्या-9/9-10/13-3-10 की अनुपालना आज दिनांक 12.01.2013 को ग्राम पंचायत थांवाला, पंचायत समिति एवं तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर, राजस्थान द्वारा जारी एवं में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 954 वर्गफुट अर्थात 106 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएं निम्नानुसार है :- उत्तर में-श्री नेमी चन्द का मकान, दक्षिण में- श्री ओम प्रकाश का मकान, पूर्व में- श्री रतन लाल कुमावत का मकान, पश्चिम में-रास्ता व निकाल, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 29.08.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 7,75,670.98/- (अक्षरे सात लाख पचहत्तर हजार छः सौ सत्तर रुपये अठानवें पैसे मात्र) दिनांक 15.09.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 16.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं उक्त नोटिस का दो हिन्दी एवं अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशन भी करवाया गया, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 7,75,670.98/- (अक्षरे सात लाख पचहत्तर हजार छः सौ सत्तर रुपये अठानवें पैसे मात्र) दिनांक 15.09.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक््योरिटीज एवं सिक््योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- रामेश्वरलाल पुत्र मांगीलाल होदगास्या की एक आवासीय सम्पत्ति जिसका पट्टा संख्या 018, बुक संख्या-032, संकल्प संख्या-08/5/01/2013, मिसल संख्या-9/9-10/13-3-10 की अनुपालना आज दिनांक 12.01.2013 को ग्राम पंचायत थांवला, पंचायत समिति एवं तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर, राजस्थान द्वारा जारी एवं में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 954 वर्गफुट अर्थात 106 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएँ निम्नानुसार है :- उत्तर में-श्री नेमी चन्द का मकान, दक्षिण में- श्री ओम प्रकाश का मकान, पूर्व में- श्री रतन लाल कुमावत का मकान, पश्चिम में-रास्ता व निकाल, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 28.04.2016 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति - रामेश्वरलाल पुत्र मांगीलाल होदगास्या की एक आवासीय सम्पत्ति जिसका पट्टा संख्या 018, बुक संख्या-032, संकल्प संख्या-08/5/01/2013, मिसल संख्या-9/9-10/13-3-10 की अनुपालना आज दिनांक 12.01.2013 को ग्राम पंचायत थांवला, पंचायत समिति एवं तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर, राजस्थान द्वारा जारी एवं में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 954 वर्गफुट अर्थात 106 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएँ निम्नानुसार है :- उत्तर में-श्री नेमी चन्द का मकान, दक्षिण में- श्री ओम प्रकाश का मकान, पूर्व में- श्री रतन लाल कुमावत का मकान, पश्चिम में-रास्ता व निकाल, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर